यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :— सुप्रिया, आर. ए. एस.)

निर्णय दिनांक : 28.01.2026

मुकदमा नं. :— 699 / 2024

जगुराम पुत्र श्री जीसुखराम जाति जाट पेशा काश्त निवासी गुमाना का बास तन छऊ तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं (राज०)

— वादी

बनाम

1. मंगलचन्द पुत्र श्री जीसुखराम जाट
2. बुंटीराम पुत्र हेमाराम जाट
3. बनवारी पुत्र हेमाराम जाट
4. सरदारा पुत्र हेमाराम जाट
5. जीवणराम पुत्र हेमाराम जाट
6. बरजी पत्नी हेमाराम जाट
7. नाराणी देवी पत्नी जीवणराम जाट

निवासीगण गुमाना का बास तन छऊ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

8. शाखा प्रबंधक राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ागांव तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
9. शाखा प्रबंधक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा टोड़ी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन भूमि व लगान एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ की सरहद में भूमि खाता संख्या 24 की खसरा नम्बर 265 रकबा 1.45 है0, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 1.15 है0 कुल खसरा 3 का योग रकबा 3.47 है0 अवस्थित है। जिसमें वादी का अविभाजित 1/6 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का अविभाजित 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादिया संख्या 7 का भी 1/3 हिस्सा है। इसके अतिरिक्त ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ की सरहद में भूमि खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर 264 रकबा 2.35 है0, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.89 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.24 है0 भूमि अवस्थित है। उपरोक्त भूमि में वादी का 1/6 अविभाजित हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/6 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 5 का 2/5 हिस्सा अवशेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6 क्रमशः 1/15 अविभाजित हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती अविभाजित खातेदारी भूमि है जिसे आगे दावे में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 का अविभाजित शामलाती सह खातेदारी की भूमि है। किसी भी न्यायालय द्वारा अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए अविभाजित शामलाती कब्जे खातेदारी भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है तथा भूमि के निश्चित भू—भाग पर निर्माण बिना विभाजन कराये किसी भी खातेदार को अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 व 2 अविभाजित संयुक्त कब्जे खातेदारी भूमि के निश्चित भू—भाग पर चार दीवारी व मकानात निर्माण कर जबरन कब्जा करने की कुचेष्ठा कर रहे हैं तथा रात दिन निर्माण कार्य चला रहे हैं। वादी वृद्ध व्यक्ति है। प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक है दिनांक

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

को प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के निश्चित भू–भाग पर निर्माण करने से मना किया तो गण झगड़ा करने पर आमदा हो गए तथा काश्त भूमि की किस्म परिवर्तन करने की कुचेष्ठा कर हे हैं जबकि बिना संपरिवर्तन भूमि पर निर्माण करने का प्रतिवादीगण को अधिकार नहीं है। विवादित भूमि शामलाती सह खातेदारी की भूमि है जिसका आवश्यक सुधार बिना विभाजन वादी द्वारा अपनी इच्छानुसार नहीं किया जा सकता तथा ऋण संबंधी राजकीय सुविधाओं में भी अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होती है। प्रतिवादीगण मनमर्जी से इच्छानुसार निर्माण कर भूमि की उर्वरा क्षमा को नष्ट कर देंगे तो भूमि काश्त उपयोगी नहीं रहेगी इसलिए वादी ने दिनांक 09.09.2021 को वादग्रस्त भूमि के विधिवत् विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस की कहने पर प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से साफ–साफ इंकार कर दिया। वादी के लिए विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस रास्ते का प्रयोजन रखते हुए करवाया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रस्तुत वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2023 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढागौड़जी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तत्पश्चात् दिनांक 18.12.2024 को उभयपक्षों के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र राजीनामा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा तहसीलदार गुढागौड़जी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट अनिता कुमारी का वकालतनामा पेश हुआ तथा उनकी ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रॉ किये जाने सहमति राजीनामा दिनांक 18.12.2024 पेश किया गया तथा दिनांक 07.05.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रॉ किये जाने सहमति राजीनामा दिनांक 18.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस किया गया। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1261 दिनांक 28.04.2025 द्वारा इस न्यायालय में पेश किये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 राजस्व मण्डल विभाजन नियम मय दस्तावेज पेश किया गया। जिस पर वादी अधिवक्ता ने जबाव न देकर सीधे बहस करना जाहिर किया। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई। बहस श्रवण उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 राजस्व मण्डल विभाजन नियम मय दस्तावेज पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 7 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। दिनांक 07.10.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जरिये वकील आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव एवं प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट मय शपथ पत्र पेश किया गया, जिसको दिनांक 15.10.2025 को वकील प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नोटप्रेस किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 7 की ओर पेश किये गये प्रार्थना पत्र आपत्ति विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.04.2025 को पोषणीय होने से स्वीकार फरमाया जाकर पुनः तहसीलदार गुढागौड़जी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार गुढागौड़जी ने पुनः विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/3529 दिनांक 19.12.2025 द्वारा इस न्यायालय में पेश किये। इसके अतिरिक्त असल स्टाम्प रास्ते की लिखावट बाबत् पेश किया गया जिसको पत्रावली में शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान तथा अधिवक्तागण पक्षकारान बहस हेतु उपस्थित हुए। बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस पक्षकारान तथा अधिवक्तागण पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। अधिवक्तागण को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वकील पक्षकारान वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ की सरहद में भूमि खाता संख्या 24 की खसरा नम्बर 265 रकबा 1.45 है0, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.87

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

...म्बर 268 रकबा 1.15 है0 कुल खसरा 3 का योग रकबा 3.47 है0 तथा भूमि खाता संख्या ...सरा नम्बर 264 रकबा 2.35 है0, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.89 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा है0 सम्पूर्ण भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2025/3529 दिनांक 19.12.2025 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :— सुप्रिया, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :— 699 / 2024

निर्णय दिनांक : 28.01.2026

जगुराम बनाम मंगलचन्द वगै0

वादी तथा वादी की ओर से अधिवक्ता रविराज सिंगोदिया व प्रतिवादी मंगलचन्द की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.01.2026 को सुप्रिया सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) झुन्झुनूं के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम गुमाना का बास पटवार हल्का छऊ की सरहद में भूमि खाता संख्या 24 की खसरा नम्बर 265 रकबा 1.45 है0, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 1.15 है0 कुल खसरा 3 का योग रकबा 3.47 है0 तथा भूमि खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर 264 रकबा 2.35 है0, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.89 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.24 है0 सम्पूर्ण भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2025/3529 दिनांक 19.12.2025 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	3	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर झुन्झुनू (राज.)